इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई 2015—आषाढ़ 25, शक 1937

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2015

क्र. एफ-3-28-2014-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना एफ-3-28-2014-तेरह, दिनांक 18 जून 2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-ग में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, भाग—ग के पश्चात् निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् ,—

टीप.— उपरोक्त अनुक्रमांक 13 और 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोत पर आधारित उत्पादन स्टेशन से विद्युत् का उत्पादन कर रहा हो, तृतीय पक्ष को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत् पर और इस विद्युत् ऊर्जा के कैप्टिव उपभोग पर, नीचे दी गई सारणी में वर्णित कालावधि तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त होगी :—

सारणी

अनुक्रमांक	नवीकरणीय स्त्रोत	छूट की कालावधि	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सौर, विंड एवं बायोमॉस आधारित उत्पादन स्टेशन.	10 वर्ष	कॉलम (3) में यथा उल्लिखित छूट की कालावधि ऐसे उत्पादन स्टेशन द्वारा विद्युत् का उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से प्रारंभ होगी :
2	लघु जल आधारित उत्पादन स्टेशन.	5 वर्ष	परन्तु यह छूट ऐसे उत्पादन स्टेशन द्वारा किए गए ऑक्जीलरी उपभोग पर उपलब्ध नहीं होगी".

2. यह अधिसूचना ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. F-3-28-2014-XIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), and in supersession of this Department's Notification No. F-3-28-2014-XIII, dated 18th June 2014, the State Government, hereby, makes the following amendments in Part-C of the Schedule to the said Act, namely:—

AMENDMENTS

1. In the said Act, in Schedule, after Part-C, the following note shall be inserted, namely,—

"**Note** :—Notwithstanding anything contained at serial number 13 and 14 above, any person producing electricity from generating Station based on renewable sources of energy shall be exempted from payment of electricity duty on electricity sold or supplied to the third party and on consumption of this electrical energy for captive use for the period and subject to the conditions mentioned in the Table below:—

TABLE

S. No.	Renewable source	Period of exemption	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Solar, Wind and Biomass based generating station.	10 years	Period of exemption as mentioned in column (3) would commence from the date of commencement of generation of electricity by such generating station:
2	Small Hydro based generating station.	5 years	Provided that the exemption shall not be available on auxiliary consumption of such generating station.".

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.